न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— सीता शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः— 121 / 2014 **ता.दायराः— 22.07.2014**

GCMS No.- 2014/00070

—: अनवान :—

1. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादीगण

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।
5. उप—पंजीयक सूरतगढ़।

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम1955

उपस्थितः—
1. श्री भागीरथ बिश्नोई , अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

— :: निर्णय ::—

दिनांकः— 18.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 43 एसटीजी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 95/87 के पत्थर [illegible] 5/373 मु.न. 44 के किला नम्बर 12—13 सालम, 16/2 में 0.127, 17—18 [illegible] सा[illegible] 21 ता 24 सालम, 25/1 में 0. 1260 हैक्टेयर इस पत्थर की कुल 2.5300 [illegible] भूमि नाली दोयम दर्ज है, जिसमे वादी न. 1 भवानीशंकर के नाम 0.6330 [illegible] = 0.886 हैक्टेयर [illegible]या न. 2 सरस्वती के नाम 0.6320 हैक. रकबा दर्ज राज[illegible] रिकार्ड है। शेष रकबा [illegible]वादी न. 1 रेवन्ती के नाम 0.4220 हैक., प्रतिवादी न. 2 जगदीश के नाम 0.590 हैक्टेयर दर्ज है। रिकार्ड में 0.1260 हैक्टेयर रकबा तीजां पुत्री मेघाराम जाति जाट निवासी रंगमहल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 121/2014)

नाम से है परन्तु उसने यह रकबा प्रतिवादीया न. 1 को जरिये बैयनामा बेचान कर दिया गया व कब्जा काश्त भी रेवन्ती के पास होने से रेवन्ती का रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 0.2960+0.1260 = 0.4220 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया गया है व इतना ही रकबा का उसके नाम रिकार्ड में अंकन कर खाता विभाजन किया जावे। तींजा पुत्री मेघाराम जाति जाट द्वारा अपना समस्त हिस्सा बेचान कर देने से तीजां देवी का नाम खाते से कलमजन किये जाने योग्य है। वादी न. 1 व 2 ने अपने हिस्सा की भूमि 0.8860 + 0.6320 = 1.5180 हैक्टेयर नाली दोयम का रकबा घरूली बंटवारा करके कब्जा काश्त में है व कड़ी मेहनत करके व गोबर आदि की खाद डालकर सुधार कर उपजाऊ बनाया है। इसी चक के इसी पत्थर नम्बर में इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 106/85 में वादी न. 1 के नाम से पत्थर नम्बर 5/573(44) का किला नम्बर 8–9 में 0.5060 हैक. , 10/1 में 0.0130 हैक., 11 व 20/0.5060 हैक. कुल 1.0250 हैक्टेयर व इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 107/42 में पत्थर नम्बर 5/373 का किला नम्बर 10/3 में 0.1390 हैक. रकबा वादीया न. 2 के नाम से दर्ज है व इन्ही किलो के चिपते हुए किलो को वादीगण ने घरूली बंटवारा में लिया हुआ है ताकि काश्त व रास्ता की सुविधा रह सके। वादी न. 1 व 2 के नाम से जैरवाद भूमि में 1.518 हैक्टेयर रकबा है जो घरूली बंटवारा से पत्थर नम्बर 5/373 का किला नम्बर 12–13–18–19–21 सालम, 22/0.126, 23/0.127 में 1.518 हैक्टेयर नाली दोयम(**वादी संख्या 1 का हिस्सा 0.886 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 का हिस्सा 0.632 हेक्टेयर)** का रकबा कब्जा काश्त में चला आ रहा है व इसी रकबा को वादीगण शेष प्रतिवादीगण से खाता अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण भी अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार अपना खाता अलग करवाने के लिए स्वतन्त्र है। संयुक्त खाता रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी की पर्ची बनाने व पानी लगाने, रकम आबयाना जमा करवाने व बैक से लोन आदि लेने व ट्यूबवैल आदि लगाने व बिजली का कनेक्शन करवाने आदि में भारी कठिनाई होती है इसलिए वादीगण अपना खाता अलग करवाना चाहते है जो किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे तहसील में चलकर सहमति से खाता विभाजन करवा लें इस पर पहले तो वे हांमी भरते रहे लेकिन दिनांक 11.07.2014 को स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा कि हमे तो खाता विभाजन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हे आवश्यकता है तो अदालत से करवा लो हम तो अदालत से नोटिस मिलने पर ही आयेगें। प्रतिवादीगण की यही इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। बस यही से वाद कारण उत्पन्न होने पर वादीगण के द्वारा अपना यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र बाद सुनवाई डिक्री फरमाया जाकर अनुतोष क ता ग अनुसार प्रदान किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ... बावजूद सम्मन तामील होने के हाजिर अदालत नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पूर्व में दर्ज प्रतिवादी बृजलाल व भंवरलाल द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर देने से उनका नाम तर्क कर देने से उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का कोई सार नहीं रहा हैं।

वाद पत्र के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर वादीगण द्वारा साक्ष्य करवाये जाने के बाद बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 121/2014)

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ही बहस की कि वाद पत्र के अनुतोष क में वर्णित अनुसार अनुतोष दौराने दावा ही वादीगण को मिल चुका हैं तथा अनुतोष ख अनुसार वादीगण अपना खाता विभाजन प्रतिवादी/सहखातेदार से करवाना चाहते हैं।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन व चिन्तन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित हैं कि जैरवाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि हैं। जैरवाद भूमि की वर्तमान जमाबन्दी चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवंत 2074—2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 33 नया, 95 पुराना में पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 के किला नम्बर 12, 13, 16/2, 17 ता 19, 21 ता 24, 25/1 में 2.5300 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी में वादी संख्या 1 भवानीशंकर का हिस्सा 443/1265, वादीया सख्या 2 सरस्वती का 316/1265 तथा प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश का हिस्सा 2/5 दर्ज हैं। प्रतिवादी न. 1 रेवन्ती के नाम से कोई हिस्सा दर्ज नहीं हैं। प्रतिवादी न. 2 जगदीश बावजूद तामील नहीं आया तथा अपना जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। वादीगण ने मुख्य अनुतोष खाता विभाजन का चाहा हैं जो मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण का खाता संयुक्त रखते हुए करवाना चाहते हैं परन्तु घरू बंटवारा लिखित में प्रस्तुत नहीं किया हुआ हैं। इसलिए वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवंत 2074—2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 33 नया, 95 पुराना में पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 के किला नम्बर 12, 13, 16/2, 17 ता 19, 21 ता 24, 25/1 में 2.5300 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादीगण भवानीशंकर—सरस्वती देवी एवं प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए वादीगण का हिस्सा आपस में संयुक्त रखते हुए इसी मुरब्बा में वादीगण के दूसरे रकबा के चिपते हुए काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक [illegible] को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:06 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......**वादीगण**

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।
5. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

....**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 121 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई, एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवंत 2074–2077 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 33 नया, 95 पुराना में पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 के किला नम्बर 12, 13, 16/2, 17 ता 19, 21 ता 24, 25/1 में 2.5300 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादीगण भवानीशंकर–सरस्वती देवी एवं प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए वादीगण का हिस्सा आपस में संयुक्त रखते हुए इसी मुरब्बा में वादीगण के दूसरे रकबा के चिपते हुए काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:06 IST
Reason: SelfAttested

नोज.......... × .... मुबलिग.........× ......वकालत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फरीक की जानिब ...... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.06.2024 . को जारी की गई।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)